संविधान का 73वां संशोधन एवं महिला सशक्तिकरण

वीना ढ़ेनवाल
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय लोहिया महाविधालय, चूरू (राज.)

dhenwalveena@gmail.com

सारांश

स्वतन्त्र भारत में निर्मित किया गया संविधान देश के समस्त नागरिकों की आशाओं का केन्द्र बिन्दु है। इस संविधान में आम नागरिकों के विकास के साथ-साथ पिछड़े वर्गों तथा सुविधाहीन लोगों के कल्याण के स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19 तथा 23 में सभी नागरिकों को न्याय तथा स्वतन्त्रता के साथ-साथ समानता के व्यापक अधिकार दिये गये हैं। संविधान में वर्णित सभी मौलिक अधिकारों में महिलाओं को प्रत्येक दृष्टि से समान दर्जा दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद – 38 (1) यह व्यवस्था करता है कि राज्य, लोक कल्याण में अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद- 39 सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्र के समस्त संसाधनों के बंटवारे के सम्बन्ध में स्त्री तथा पुरूष के मध्य समानता की व्यवस्था को बनाये रखेगी। इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी भारत में महिलाओं की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया अतः समय-समय पर यह मांग उठाई गई है कि देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिये कुछ विशेष कानूनी प्रावधान किये जायें। सन् 1990 में पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम तथा सन् 1992 में पारित 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन इसी दिशा में कुछ सार्थक कदम हैं। भारत सहित अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में भ्रष्टाचार, शिक्षा, राजनीति तथा नारी, चार ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सर्वाधिक बहस तथा लेखन का कार्य होता है। वास्तव में नारी एक नारा बन गई हैं जिसकी आड़ में अधिकांश राजनीतिक दल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुटे हैं। यद्यपि नारी की समस्याओं को लेकर शुरू हुए अनेक आंदोलनों नें महिलाओं में एक अभूतपूर्व चेतना पैदा की है किन्तु भारत में महिलाओं को राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के क्रम में 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।

प्रस्तावना

भारत में पंचायतों के तीसरे चरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलायें सभी स्थानीय स्व- शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी जिनमें पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख जिला परिषद सभी स्तर शामिल हैं। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। किसी पंचायती राज संस्था में जितने सदस्य इस वर्ग के होंगे उनका एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है। उदाहरणार्थ यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों की संख्या 9 है तो 3 स्थान उस वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे, लेकिन ये आरक्षित पद महिलाओं के कुल आरक्षित पदों में सम्मिलित माने जायेगें। इस प्रकार यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर सत्ता में इस वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता न सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिका को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करने की है बल्कि उनके विकास संबंधी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की भी है। महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निम्न रूपों में सहभागी हो सकती है |

1. महिला मतदाता के रूप में
2. राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में
3. प्रत्याशियों के रूप में,
4. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य के रूप में और
5. महिला मंडलों के सदस्यों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ साझेदारी के रूप में।

अतः 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील के पत्थर के समान है। इससे पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है।

पंचायतों के चुनाव एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व

73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद करना अनिवार्य किया है। अधिनियम में प्रावधान था कि जो पंचायतें इस अधिनियम के बनने से तुरन्त पहले गठित हुई। हैं वे अपना कार्यकाल पूरा कर सकती हैं। इस श्रेणी में अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि राज्य आते थे। शेष राज्यों को 23 अप्रैल 1994 के तुरन्त बाद चुनाव करा लेने चाहिए थे। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश, हरियाणा और त्रिपुरा ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने 1994 में पंचायतों के चुनाव कराये। अन्य राज्यों ने पंचायतों के चुनाव 1995 के आखिर में और 1996 के दौरान कराये। उड़ीसा राज्य में चुनाव 1997 में हुए । पंचायतों के मतदान का प्रतिशत 80 से 90 रहा। यह राजस्थान में 66 प्रतिशत, पंजाब में ग्राम पंचायत स्तर पर 82 प्रतिशत तथा पंचायत समिति और जिला परिषद् स्तर पर 64 प्रतिशत रहा। उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत 60 रहा। महिलाओं के लिये पंचायतों में आरक्षण की घोषणा की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों

ही रही। देश में पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में लगभग 10 लाख महिलायें चुन कर आई जिनमें से कुछ राज्यों में महिला संरपंचों का प्रतिशत निम्न रहा -

राज्य	महिला सरपंचों का प्रतिशत
राजस्थान	33.36
पश्चिमी बंगाल	35.23
त्रिपुरा	33.37
हरियाणा	33.33
मध्यप्रदेश	35.72

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज से संबंधित पूर्व के दोनों अधिनियमों (पंचायत राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1959) को निरस्त कर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के परिप्रेक्ष्य में नया पंचायती राज अधिनियम, 1994 तैयार कर 23 अप्रैल 1994 से राज्य में लागू कर दिया है। अब राज्य की संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था जिसमें 9187 ग्राम पंचायतें, 237 पंचायत समितियां तथा 32 जिला परिषदें शामिल हैं, इसी अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं उपनियमों से संचालित होंगी। राज्य सरकार ने नये अधिनियम के अनुसार पंचायती राज्य व्यवस्था के चुनाव कराने के नियम एवं उपनियम बना कर लागू किये, जिनके अनुरूप वर्ष 1995 के जनवरी माह में राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों की सभी संस्थाओं के चुनाव कराये। गये। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद राज्य में कुल 119419 जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आये थे, जिनमें से 38791 महिलायें, लगभग 15 हजार अन्य पिछड़े वर्ग के, 20172 अनुसूचित जाति एवं लगभग 18 हजार अनुसूचित जनजाति के जन प्रतिनिधि थे। राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में प्रथम बार इतनी अधिक मात्रा में समाज के इन कमजोर वर्ग के लोगों एवं महिलाओं की राज्य के ग्रामीण विकास में तीनों ही स्तरों पर सहभागिता सुनिश्चित हुई।

राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों कई स्थितियों में चुनावी परिणाम महिलाओं की सहभागिता के संबंध में बहुत आशाप्रद रहे हैं। 1993 से पहले भी कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के चुनावों में महिलायें, उम्मीदवार के रूप में काफी संख्या में भाग लेती रही हैं। आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने में मदद की। इसी तरह पश्चिमी बंगाल में भी शुरू से 15-25 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये निर्धारित की गई थी। उड़ीसा में वहां के मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक ने 73वें संशोधन के पारित होने से बहुत पहले ही पंचायत के चुनाव करा लिये थे और साथ ही महिलाओं के लिये पंचायतों में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी थी। महिलाओं ने न केवल आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में बल्कि आम चुनाव क्षेत्रों में भी बहुत विश्वास के साथ चुनाव लड़ा। बहुत से मामलों में तो निर्वाचित होकर आने वाली महिलाओं का प्रतिशत आरक्षित कोटे को पार कर गया था। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में कर्नाटक में 43 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 38प्रतिशत और पश्चिमी बंगाल में 35 प्रतिशत निर्वाचित स्थानों पर महिलायें हैं।

देश में उड़ीसा पहला राज्य है, जिसने पंचायत में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण उस समय लागू किया था जब केन्द्र सरकार इस विषय पर विचार विमर्श कर रही थी। 11 से. 25 जनवरी 1997 को हुए उड़ीसा के पंचायतों के चुनावों में जो 5262 ग्राम पंचायतों, 314 पंचायत समितियों तथा 30 जिला परिषदों के लिये सम्पन्न कराये गये महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दिया। इस चुनाव के परिणामस्वरूप लगभग 30000 महिलायें निर्वाचित हुई। इस राज्य में महिलाओं के कम साक्षरता स्तर के बावजूद यह उपलब्धि बहुत शानदार रही। पश्चिमी बंगाल में जहां पंचायत निकायों के अंतिम चुनाव 1993 में हुए थे, वहां 24799 महिलायें, पंचायत के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित हुई थीं। उनमें से 8 जिला परिषदों की, 91 पंचायत समितियों की और 191 ग्राम पंचायतों की अध्यक्ष थी। हिमाचल प्रदेश में 2877 ग्राम पंचायतों के चुनाव 1995में हुए जिनमें 970 महिलायेंप्रधान/चैयर मैन के रूप में चुन कर आई ।

हरियाणा में पहली बार महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में विभिन्न पदों को प्राप्त किया गया। यह संख्या पंचों की 17918, सरपंच 1978, पंचायत समिति सदस्य 806, पंचायत समिति के चैयरमैन 37. सदस्य जिला परिषद 103, जिला परिषद के चैयरमैन 5 रहीं। कर्नाटक में हुए चुनावों में 640 ग्राम पंचायतों में 30627 सीटों में महिलाओं का प्रतिशत 43.77 रहा। इस प्रकार से कुल मिलाकर सभी राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रहा है।)

उद्येश्य

1. मानव समाज के विकास क्रम तथा सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति का विश्लेषण करना
2. भारत में महिलाओं की सामाजिक ,आर्थिक तथा राजनितिक स्थिति की व्याख्या करना
3. अंतरास्ट्रीय ,राष्टीय तथा प्रांतीय स्तर पर विधायिकाओं एवं लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करना
4. राजस्थान राज्य में महिला की स्थिति तथा सशक्तिकरण के उपाओं को रेखांकित करना
5. 73 वे सविंधान संशोधन के प्रावधान वर्णित करना

परिकल्पना

शोध उपकल्पना यह शोधार्थी के निजी अनुभवों पर आधारित है। पंचायती राज विभाग के प्रतिवेदनों सभा सगोष्ठियो के निष्कर्षो तथा शैक्षिक बौद्धिक जगत के विदानो के विचारों को आधार बन कर अपने विश्लेषणात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत किये है

निष्कर्ष

भारत में 73 वे सविधान संशोधन के पश्चात नि:सदेह महिलाओं के स्थानीय स्वायत्वशासी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के अवसर बड़े है किन्तु परम्परागत भारतीय समाज तथा राजनितिक आर्थिक परिवेश अभी इस
स्थिति में नहीं आया है। की वह महिला प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व को सहजता से स्वीकार कर सके तथास्वयं महिलाए सशक्त भूमिकाये निभा सके यह स्तिथि कुछ वर्षो पश्चात् दूर हो जाएगी तथा सामाजिक स्तर पैर एक नई सोच अवश्य विकसित हुई इस प्रकार स्पष्ट है की देश भर की पचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का

प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है जो शासन में इनकी सार्थक उपस्तिथि तथा सशक्त भूमिका सहित सुखद भविष्य की आशा का परिचायक है73 वे सविंधान से पंचायती राज संस्थाओ में महिला आरक्षण के प्रावधान से महिलाओं का राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने के नये मार्ग खुले है सत्ता में महिलाओं की भागीदारी का यह प्रयोग अपने प्रारम्भिक चरण में सफल हो पाया है।

संदर्भ

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का संख्या 13)
2. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (भारत सरकार दिनांक 26 अप्रैल 1993)
3. डा. अशोक शर्मा, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर 1999
4. राजस्थान में पंचायती राज के नए आयाम, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. आर. पी. जोशी एवं रूपा मंगलानी, भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000

पत्र - पत्रिकाएं

1. प्रतियोगिता दर्पण ,आगरा
2. राजस्थान पत्रिका।,जयपुर
3. दैनिक भास्कर ,जयपुर

अधिनियम

1. 73 वां सविधान संसोधन अधिनियम 1992
2. 74वां सविधान संसोधन अधोनियम 1992